is really the difficulty. Now, the issue is how to overcome the impasse. The issue is not the unwillingness of the Government, nor is it a question of funds in the States. The issue is how we could overcome the Constitutional impasse which has been created. *(Interruptions)...*

SHRI JANARDHANA POOJARY: Why doesn't the Central Government change the policy ? *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Q. No. 427. *(interruptions)...*

SHRI JANARDHANA POOJARY : They can change the policy. *(Interruptions)...*

MR CHAIRMAN: Q. No. 427. *(Interruptions)...*

SHRI JANARDHANA POOJARY : Sir, this is a very important issue. *(Interruptions). . .*

*427. [The questioner (Shri S. M. Lal Jan Basha) was absent. For answer *vide* page 40 *infra]*

दिल्ली में कालोनियों को नियमित किए जाने के लिए कानून

428 **श्री मोती लाल वोरा** † †:

श्रीमती प्रेमा करियप्पा :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को निदेश दिया है कि पहले कानून बनाएं और फिर कालोनियों को नियमित करें ,

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) दिल्ली में किन-किन कालोनियों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है,

(घ) इन सभी कालोनियों के विकास कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना हैं, और

(ड़) सरकार प्रस्तावित कानून कब तक बनाने का विचार रखती है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ड) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ड) सरकार ने 31-3-1993 को मौजूद अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए थे तथा उन्हें सिविल रिट याचिका सं. 4771/1993 कॉमन काज (रजि.) सोसायटी बनाम भारत संघ व अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल किया।

† सभा में यह प्रश्न श्री मोती लाल वोरा द्वारा पूछा गया ।

माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 27-2-2001 के आदेश मे अन्य बातों के साथ-साथ, भारत संघ को उन कालोनियों को अधिसूचित करने का निदेश दिया, जो इन दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित की जा सके । यह भी उल्लेख किया गया था कि दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यप्रणाली तैयार किए जाने तक किसी भी अनधिकृत कालोनी को नियमित करने के लिए कोई निर्णय/कार्रवाई करने से रोकने हेतु पूर्व में पारित अन्तरिम ओदश लागू रहेगा । दिल्ली सरकार से उन कालोनियों की सूची पेश करने का अनुरोध किया गया है, जिन्हें इन दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित किया जाएगा। सूची की प्रतीक्षा है । सरकार को माननीय न्यायालय के ऐसे किसी अन्य आदेश की जानकारी नहीं है, जिसमें कि अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

2. माननीय न्यायालय ने इस कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं, यथा पानी, बिजली आपूर्ति, तथा सड़कों व नालियों इत्यादि का प्रावधान करने की अनुमति दे दी है। तथापि, नियमित विकास कार्य इन कालोनियों में केवल तभी शुरू किए जा सकते हैं जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश रद्द हो ।

Legislation for Regular isation of Colonies in Delhi

†428. SHRI MOTILAL VORA:††

SHRIMATI PREMA CARIAPPA:

Will the MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi High Court has directed Government to enact a legislation before regularising colonics;

(b) if so, the steps taken by Government in this direction;

(c) the colonies which are proposed to be regularised in Delhi;

(d) by when the development work of all these colonies is likely to be completed; and

(e) by when Government propose to bring die proposed legislation ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) to (e) A Statement is laid on the TabieoftheSabha.

---

† The original notice of the question was received in Hindi.

† †Question was actually asked on the floor of the House by Shri Moti Lal Vbra.

Statement

(a) to (e) Government had prepared detailed guidelines for regularizaticn of unauthorized colonies which were in existence as on 31-3-1993, and filed the same in Delhi High Court in CWP No. 4771/1993-Common Cause (Regd.) Society *versus* Union of India and others. The Hon Trie Court in its order dated 27-2-2003 had *inter-alia* directed the Union of India to notify the colonies which could be regularized in terms of the said guidelines. It had also indicated that till modalities in terms of the guidelines are worked out, interim orders passed earlier restraining any decision/action for regularizing any unauthorized colonies shall be operative. Government of National Capital Territory of Delhi has been requested to submit the list of colonies which could be regularized in accordance with the said guidelines. The list is awaited. The Government is not aware of any other order of hon'ble Court directing enactment of legislation for regularization of the unauthorized colonies.

2. Basic amenities such as supply of water, electricity and provision of roads and drains, etc. have been permitted to be developed in these colonies by the hon'ble Court. However, regular development work can be taken up in such colonies only on vacation of interim orders passed by the hon'ble High Court.

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चहाता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27-2-2001 को अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के लिए कानून बनाने की बात कही थी और उस वक्त उसकी गाइडलाइन्ज के बारे में भी कहा था। इसके साथ-साथ यह भी कहा था कि कौन-कौन सी कालोनी है, उसका भी प्रकाशन किया जाए। मुझे इस बात को कहने में बहुत अफसोस हो रहा है कि माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो जवाब दिया है वह सही नही दिया है। अगर माननीय सभापति महोदय देखें तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि,"The Government is not aware of any other order of hon'ble Court directing enactment of legislation for regularisation of the unauthorised colonies", माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि दिनांक 27 मार्च, 2003 को माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री चंदूलाल बाबूलाल पटेल और माननीय न्यायाधीश श्री भद्र दुरेश अहमद की खंडपीठ ने ....। सरकारी अधिवक्ता को सैनिक फार्म कालोनी और अन्य कालोनियों के बारे में निर्देश दिए, लेकिन अचम्भा इस बात का है कि केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि माननीय हाईकोर्ट ने कौनसा एक निर्देश दिया । महोदय, पहले के निर्देश का पालन नहीं हुआ । अब दिल्ली के अंदर 1071 कालोनियां नियमित होने की राह देख रही हैं।

श्री सभापति : वह हाईकोर्ट के जिस जजमेंट का उल्लेख कर रहे हैं, वह आप के ध्यान में है या नहीं ?

श्री अनन्त कुमार : सर, प्रश्न यह है कि निर्देश वह विधेयक पारित करने के बारे में किया । इसीलिए हमने एक नीति आगे रखी और उसे आगे रखकर हम कैबिनेट में गए । अब उसके लिए हार्डकोर्ट का स्टे हैं।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, हाईकोर्ट ने स्टे तो इसलिए दिया था कि उनका नियमितीकरण नहीं किया जाए । साथ-ही-साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि केन्द्र सरकार को चाहिए कि उन कालोनियों की जो सूची है , उस पर प्रकाशन करे और कानून बनाए । इस तरह कानून बनाने की दिशा में हाईकोर्ट ने मनाही नहीं की ।

श्री अनन्त कुमार : सर, प्रश्न यह है कि सैनिक फार्म के ऊपर जस्टिस नानावटी जी का कमीशन बैठा है और उस की रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम उसके ऊपर कोई कार्यवाही कर सकेंगे ।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सन् 2001, उसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश सन् 2003 के आदेश की अवहेलना केन्द्र सरकार लगातार किस प्रकार कर रही हैं। मैं सैनिक फार्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो दिल्ली के अंदर जो 1071 कालोनियां हैं और जिन के नियमितीकरण की बात कही गयी थी, उसकी बात कर रहा हूं । उस के लिए गाइडलांइस तो दी, लेकिन उस के साथ-साथ उन कालोनियां के नाम के प्रकाशन की बात भी कही थी । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन कालोनियों के नाम का प्रकाशन आप ने कर दिया है?

SHRIMATI PREMA CARIAPPA : Sir, the mushroom growth of illegal colonies in metropolitan cities is a matter of great concern. It is a fact that many people come from villages and towns in search of jobs to the metropolitan cities. But, Sir, the illegal colonies grow because of the inaction of the Government in preventing illegal occupation of land. The land mafia, who settle them in these illegal colonies where there are no basic amenities, has exploited these migrants.

MR. CHAIRMAN: Please, put your question.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA : Sir, in 2002, the hon High Court has directed the Government to notify the illegal colonies, I would like to know from the hon. Minister as to how many illegal colonies are there as on date and how many people are living there. Also, I would like to know from the Government whether they have made any estimate about the financial requirements to regularise these colonies, and how these additional resources are to be raised.

SHRI ANANTH KUMAR: Sir, first of all, this question does not pertain to the main question. For example, whatever illegal and unauthourised colonies are mushrooming, they are placed in different States, and it is for the State Governments to give the total details about it.

SHRIMATIPREMA CARIAPPA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether any estimate has been made by the Government of the composition of the population in these colonies, region-wise, like illegal migrants from Bangladesh, Bihar or Orissa, and economic levels of the population occupying these illegal colonies.

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, I am unable to understand whether this question pertains to the illegal colonies in Delhi or in the entire country.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, this pertains to the illegal colonies of Delhi.

SHRI ANANTH KUMAR: Sir, there is no survey to that effect.

सुरेश पचौरी : आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय अटल बिहारी वाजेपयी जी के दिनांक 18 जुलाई, 1986 के प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन अर्बन डबलपमेंट मिनिस्टर ने यह कहा था कि रक्षा विभाग से संबंधित जो कालोनी हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा । यह एसोरेन्स हैं इस हाऊस में प्रश्न क्रमांक 38 के संदर्भ में । सभापति जी, उसी उत्तर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कोटा हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली पर पिछले पचास वर्षो से जो लोग बसे हुए हैं और जो आईएनएस इंडिया, डलहौजी रोड पर एलोटी हैं, जिनके संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी 7 जनवरी, 2002 को एक पत्र लिखा है, उस संदर्भ में और इसके साथ ही जो ऐसी अन्य कालोनी हैं, जिनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई हैं और आपके मंत्रालय ने उनको जो बेदखल करने संबंधी नोटिस दिया है, क्या आप उस एविक्शन नोटिस को, जब तक कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, तब तक स्थागित करेंगे या नहीं करेंगे? जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही भावना थी प्रश्न पूछने की, उस भावना की कद्र करते हुए क्या आप उस एविक्शन नोटिस को विद्ड्रा करेंगे?

श्री अनन्त कुमार : सभापति जी, वर्ष 1962 से अनआथोराइज्ड कालोनियों को रेगुलराइज कर रहे हैं । वर्ष 1962 में 110, वर्ष 1969 में 101...(व्यवधान)....सर, यह सजेशन मैंने नोट कर लिया है आगे की कार्रवाई के लिए और मैं इसको नजर में रखता हूं । ....(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : क्या एविक्शन रोक देंगे? सर, यह उस समय के मंत्री जी का उत्तर है, जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रश्न के माध्यम से चाहा था । एविक्शन तो आप रोक दीजिएगा इन कालोनियों का । यह तो आप कर सकते हैं ।

श्री अनन्त कुमार : सर, इस विषय के बारे में जो कुछ मुद्दे हैं, उसको मुझे देखना पड़ेगा और उसके बाद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी।

श्री सभापति : ठीक है, लेकिन इनका ध्यान रखिएगा, जो पचौरी जी ने पूछा हैं। नेक्स्ट क्वैश्चन।

Restrictions on Export of Foodgrains

*429. SHRI R. KAMARAJ : Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are actively considering putting Quantitative Restrictions (QRs) on foodgrain export or alternatively increasing the ex-granary prices as part of a proposed New Grain Export Policy in order to prevent substantive depletion of Government stocks; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY):(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI R. KAMARAJ : Sir, I would like to know from the hon. Minister about the Government's action to improve the Government stocks with regard to foodgrains.

SHRI ARUN JATTLEY: Sir, with regard to stocks, I would like to say that infact the stocks have been in surplus with the Government and the Food Corporation of India both with regard to the distribution mechanism under the Public Distribution System and the welfare schemes and also for the purposes of exporting them so that an adequate pricing could be available as far as the farmers are concerned.

SHRI R. KAMARAJ: Sir, if drought is the reason for fall in production of foodgrains, what is the Government's policy on foodgrains exports ?

SHRI ARUN JATTLEY : Sir, one of the obvious reasons for tall in the agricultural production was the bad monsoon last year. As far as the increase in exports is concerned, there have been various steps, which the Government has taken with regard to elimination of certain procedural restrictions etc. so that the surplus could be exported. As a result of this, there has been a significant improvement in exports last year.

SHRI PRITHVERAJ CHAVAN: Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the issue of the quantitative restrictions on exports of agro products. While the .Government was in a great hurry to remove the quantitative restrictions on imports, Government was not particularly worried about removing